छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1137/2007

1. श्री इंदरचन्द सोनी, — *अपीलार्थी*
सामाजिक कार्यकर्ता, जवाहर चौक,
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *प्रति अपीलार्थी*
मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वा0 अधिकारी,
(खाद्य एवं औषधि प्रशासन)
दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 12 फरवरी, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री इंदरचन्द सोनी द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी (खाद्य एवं औषधि प्रशासन), दुर्ग के समक्ष दिनांक 23.02.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 21.04.2007 को अपील भी प्रस्तुत की गई, किन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा समयावधि में प्रकरण की सुनवाई/निराकरण नहीं किया गया, बल्कि प्रकरण कुछ टिप्पणी के साथ जन सूचना अधिकारी को लौटा दिया गया, जिसकी सूचना दिनांक 29.05.2007 को प्राप्त हुई, तत्पश्चत् दिनांक 01.06.2007 को खाद्य एवं औषधि प्रशासन को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर उन्हें दिनांक 08.05.2007 को कुछ जानकारी प्राप्त हुई, किन्तु वह जानकारी भी आधी–अधूरी एवं अप्रमाणित प्राप्त पाई गई, जिससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 26.11.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में प्रति–अपीलार्थी ने अपने तर्क में यह बताया कि अपीलार्थी ने जो अपील प्रस्तुत की है, वह निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं की गई है और विलंब के लिए कोई कारण नहीं बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी सामाजिक कार्यकर्ता के आड़ में आदतन आवेदन प्रस्तुत करते हैं और ब्लेकमेल करने का प्रयास करते हैं तथा यह भी बताया कि दिनांक 16.08.207 को पत्र लिखकर आवेदक को दस्तावेज का अवलोकन करने के लिए दिनांक 24.08. 2007 को बुलाया गया था, किन्तु वे उपस्थित नहीं हुये, बाद में दिनांक 01.10.2007 को कार्य की अधिकता एवं व्यवस्तता के कारण दस्तावेज का अवलोकन नहीं करा पाये । साथ ही उन्होंने मौखिक तर्क में यह भी बताया कि दिनांक 21.04.2007 को प्रस्तुत प्रथम अपील के साथ स्टॉप नहीं लगाया था, इस कारण प्रथम अपील पर विचार नहीं किया गया, जबकि इस संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि उन्होंने स्टॉप लगाया था । प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अत्यन्त विस्तृत जानकारी मॉगी है और अपीलार्थी के पत्रों में जिस भाषा का उपयोग किया गया है, वह भी उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है । साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी रूचि जानकारी प्राप्त करने बजाय अधिकारी को परेशान करने में ही ज्यादा रूचि प्रतीत होती है, अतः इस प्रकरण में जानकारी छिपाने में जन सूचना अधिकारी की कोई दुर्भावना नहीं होने के कारण किसी प्रकार की शास्ति की

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, किन्तु प्रकरण में यह निर्देश अवश्य दिये जाते हैं कि अब अपीलार्थी को शेष जानकारी से संबंधित रिकार्ड का 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क अवलोकन कराया जावे और उसमें से जो जानकारी वे चाहे, उक्त जानकारी में से राशि 100/- रूपये तक की जानकारी उनसे सूची प्राप्त करके उन्हें निःशुल्क प्रदान की जावे, यदि उससे अधिक की चाहते हो तो उनसे शुल्क जमा कराकर जानकारी प्रदान की जावे । प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई नहीं की गई है, उसके संबंध में सचिव, स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि वे संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर, आवश्यक कार्यवाही करें । प्रकरण में जो जानकारी सत्यापित करके नहीं दी गई है, उसके संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि वह जानकारी 15 दिवस के अन्दर सत्यापित करके प्रदान की जावे । प्रकरण में चूंकि जानकारी देने में थोड़ा विलंब हुआ है और अपूर्ण जानकारी दी गई है, अतः उसके कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com